अध्याय - 18

भारत में खाद्यान्न सुरक्षा

हम पढ़ेंगे

18.1 खाद्यान्न सुरक्षा से आशय
18.2 खाद्यान्न सुरक्षा की आवश्यकता एवं महत्व
18.3 भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें
18.4 खाद्यान्न सुरक्षा हेतु शासन के प्रयास –
- खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य
- बफर स्टाक
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली

18.5 खाद्यान्न व सहकारिता

18.1 खाद्यान्न सुरक्षा से आशय

रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की तीन प्रमुख आवश्यकताएँ हैं। इनमें से पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक खाद्य पदार्थ की उपलब्धता मानव-जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। खाद्यान्न-सुरक्षा का सम्बन्ध मनुष्य की भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं से है। सरल रूप में खाद्यान्न-सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को पौष्टिक भोजन की उपलब्धता। साथ ही यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति के पास भोजन-व्यवस्था करने के लिये क्रय-शक्ति (पैसा) हो तथा खाद्यान्न उचित मूल्य पर उपलब्ध रहे। विश्व विकास रिपोर्ट 1986 के अनुसार ''खाद्यान्न-सुरक्षा सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता है।'' खाद्य एवं कृषि संस्थान के अनुसार, ''खाद्यान्न-सुरक्षा सभी व्यक्तियों को सभी समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूप में उपलब्धि का आश्वासन है।''

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर खाद्यान्न-सुरक्षा के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें सम्मिलित की जाती है-

- देश की समस्त जनसंख्या को खाद्यान्न (भोजन) की उपलब्धता।
- उपलब्ध खाद्यान्न को खरीदने के लिए व्यक्तियों के पास पर्याप्त धन (क्रय शक्ति) होना चाहिये।
- खाद्यान्न उस मूल्य पर उपलब्ध हो जिस पर सभी उसे खरीद सकें।
- खाद्यान्न हर समय उपलब्ध होना चाहिए।
- उपलब्ध खाद्यान्न की किस्म अच्छी होना चाहिए।

सामान्यतः खाद्यान्न सुरक्षा के अन्तर्गत समस्त जनसंख्या को खाद्यान्नों की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराना माना जाता है, परन्तु एक विकासशील अर्थव्यवस्था में निरन्तर परिवर्तन होने के कारण इसकी निम्न अवस्थायें भी हो सकती है-

1. पर्याप्त मात्रा में अनाज की उपलब्धता।
2. पर्याप्त मात्रा में अनाज और दालों की उपलब्धता।
3. अनाज और दालों के साथ दूध और दूध से बनी वस्तुओं की उपलब्धता।
4. अनाज, दालें, दूध एवं दूध से बनी वस्तुएं, सब्जियाँ, फल, इत्यादि की उपलब्धता।

18.2 खाद्यान्न-सुरक्षा की आवश्यकता एवं महत्व

भारत की वर्तमान स्थिति में खाद्यान्न सुरक्षा का महत्व बहुत अधिक हो गया है। एक ओर तो हमारी

अर्थव्यवस्था विकासशील है, और दूसरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अत: खाद्यान्नों की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिए खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक हो गई है। इसके कारणों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं- आंतरिक कारण एवं बाह्य कारण।

1. **आंतरिक कारण-** इनमें वे कारण शामिल हैं जो देश की भीतरी परिस्थितियों से संबंधित है। आंतरिक कारण हैं -

- **जीवन का आधार-** भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है साथ ही जन्मदर भी ऊँची है। अत: लोगों के भरण-पोषण के लिए एवं उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक है।
- **मानसून पर निर्भरता-** भारत में अधिकांश फसलें सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है। जबकि मानसून अनिश्चित एवं अनियमित है। वर्षा का वितरण भी समान नहीं है। अत: कभी भी सूखे एवं अकाल की स्थिति देश में बन जाती है। इस कारण भी खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक है।
- **कम उत्पादकता-** भारत में खाद्यान्न उत्पादकता प्रति हैक्टेयर तथा प्रति श्रमिक दोनों ही दृष्टि से कम है। इस दृष्टि से भी खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक है।
- **प्राकृतिक बाधाएँ-** मानसून की समस्या के अतिरिक्त बाढ़ें, कीड़े-मकोड़े, शीत लहर, मिट्टी के कटाव आदि देश के किसी न किसी भाग में अनाज की फसलों को नष्ट कर देते हैं। अत: खाद्यान्न की समस्या विकराल हो जाती है। सन् 1835 के उड़ीसा के अकाल, 1877 में पंजाब और मध्यप्रदेश, 1943 में बंगाल में पड़े अकाल में लगभग लाखों लोग भूख से मारे गए। प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति का सामना करने हेतु खाद्यान्न सुरक्षा अत्यन्त आवश्यक है।
- **निरंतर बढ़ती हुई महंगाई-** खाद्यान्नों की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए खाद्यान्न सुरक्षा अत्यंत आवश्यक हो जाती है।
- **देश की प्रगति-** खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त किये बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। इस हेतु खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक होती है।

2. **बाह्य कारण -** बाह्य कारणों के अंतर्गत वे कारण शामिल हैं, जो दूसरे देशों के साथ हमारे देश के संबंधों से जुड़े होते हैं। ये बाह्य कारण निम्नलिखित हैं-

- **विदेशों पर निर्भरता-** खाद्यान्नों की आवश्यकता मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती है। अत: इनकी पूर्ति न होने पर देश की सरकार का यह प्राथमिक कर्तव्य हो जाता है, कि वह जनता की इस आवश्यकता की पूर्ति करें। देश में जब इनकी पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती तो हमें विदेशों पर निर्भर होना पड़ता है, फिर खाद्यान्न मँहगे हो या सस्ते अथवा उनकी गुणवत्ता अच्छी है या न हो हमें खाद्यान्न आयात करना पड़ता है।
- **विदेशी मुद्रा कोष में कमी-** जब हम विदेशों से खाद्यान्न जैसी वस्तुएँ बाहर से मँगाते है तो हमारी विदेशी मुद्रा अनावश्यक रूप से खर्च हो जाती है। खाद्यान्न की पूर्ति हम स्वयं ही कर सकते हैं पर नहीं कर पाते। परिणाम यह होता है कि बहुत जरूरी वस्तुएँ खरीदने हेतु हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं बच पाती है।
- **विदेशी दबाव-** जो देश खाद्यान्नों की पूर्ति करते हैं वे प्रभावशाली हो जाते हैं और फिर अपनी नीतियों को मनवाने का प्रयास करते हैं। ऐसे देश खाद्यान्न का आयात करने वाले देशों पर हावी हो जाते हैं, और आयातक देश विदेश नीति निर्धारण करने में स्वतंत्र नहीं रह जाते हैं। भारत ने 1965-66 और 1966-67 में मानसून की विफलता के कारण भयंकर सूखे का सामना किया तथा

अमेरिका से गेहूँ प्राप्त किया गया। बार-बार के खाद्यान्न-संकटों के दौरान भारत ने यह अनुभव किया कि देश के नागरिकों को भुखमरी से बचाने, विकास करने, स्वाभिमान, सम्मान और संप्रभुता की रक्षा के लिये खाद्य-सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है।

18.3 भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें

भारत की प्रमुख फसलें एवं उनका उत्पादन क्षेत्र

- **चावल-** पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा पंजाब, असम।
- **गेंहूँ-** उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड एवं गुजरात।
- **बाजरा-** राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक व मध्यप्रदेश।
- **ज्वार-** मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश,तेलंगाना।
- **मक्का-** उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान, गुजरात।
- **चना व दालें-** मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब व कर्नाटक।

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहां का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। कृषि भूमि के 75 से 80 प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न उगाये जाते हैं। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, और मक्का यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न हैं। वर्तमान समय में भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। भारत में खाद्यान्न पैदावार अलग-अलग समय पर अलग-अलग होती है। अत: समय के अनुसार इन खाद्यान्न फसलों को निम्न भागों में बाँटा जाता है-

1. **खरीफ फसलें :** ये फसलें जुलाई में बोई तथा अक्टूबर में काटी जाती है। इसके अन्तर्गत धान (चावल), ज्वार, बाजरा, मक्का आदि खाद्यान्न फसलें आती हैं।

2. **रबी की फसलें :** ये फसलें अक्टूबर में बोई जाती हैं तथा मार्च के अन्त या अप्रैल में काटी जाती हैं। इसके अन्तर्गत गेहूँ, जौ, चना आदि खाद्यान्न फसलें आती हैं।

भारत में अनेक प्रकार के खाद्यान्न पैदा होते हैं। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से चीन और अमेरिका के बाद भारत का स्थान आता है। भारत के मुख्य खाद्यान्नों (अनाज) का विवरण निम्नानुसार हैं-

चावल : चावल भारत का मुख्य खाद्यान्न है। भारत में कुल कृषि भूमि के लगभग 25 प्रतिशत भाग पर इसकी खेती की जाती है। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व के कुल चावल उत्पादन का 11.4 प्रतिशत चावल भारत में होता है।

भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य क्रमश: **पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, छत्तीसगढ़ तथा असम** हैं। देश में चावल के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। देश में चावल के क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और उन्नत बीजों के प्रयोग के कारण भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इस समय देश चावल के उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर हो गया है, बल्कि इसका निर्यात भी करने लगा है।

गेहूँ : भारत में खाद्यानों में चावल के बाद गेहूँ का दूसरा स्थान है। विश्व में भारत गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से चीन व संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर व क्षेत्रफल की दृष्टि से पाँचवें स्थान पर है। भारत में मुख्यत: दो प्रकार का गेहूँ उगाया जाता है -

क. **वलगेयर गेहूँ :** यह चमकीला, सुडौल, मुलायम और सफेद होता है। इसे साधारणत: रोटी का गेहूँ कहते हैं।

ख. **मैकरानी गेहूँ :** यह लाल छोटे दाने वाला और कठोर होता है।

देश में गेहूँ के प्रमुख उत्पादक राज्य क्रमश: **उत्तरप्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात** हैं। भारत गेहूँ के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यद्यपि चालू वर्ष में संचित स्टॉक में कमी के कारण

भारत गेंहूँ का आयात कर रहा है। 5 लाख टन गेंहूँ का आयात किया जा चुका है।

मोटे अनाज: मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और मक्का को शामिल किया जाता है।

ज्वार : भारत में ज्वार की खेती प्राचीन काल से हो रही है। यह पशुओं के चारे तथा मनुष्यों के भोजन के रूप में प्रयोग होता है। भारत में यह निर्धनों का भोजन है। विदेशों में इससे स्टार्च तथा ग्लूकोज तैयार किया जाता है। उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है, लेकिन दक्षिण में यह खरीफ एवं रबी दोनों की फसल है। देश के कुल ज्वार उत्पादन का लगभग 87 प्रतिशत भाग **मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश, तेलंगाना** में होता है।

बाजरा : बाजरा उत्तर भारत की खरीफ फसल है। दक्षिण भारत में यह रबी व खरीफ दोनों की फसल है। राजस्थान, मध्यप्रदेश व गुजरात में इसका प्रयोग खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। यह पशुओं को चारे के रूप में भी खिलाया जाता है। विश्व में बाजरा उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। **राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र,**

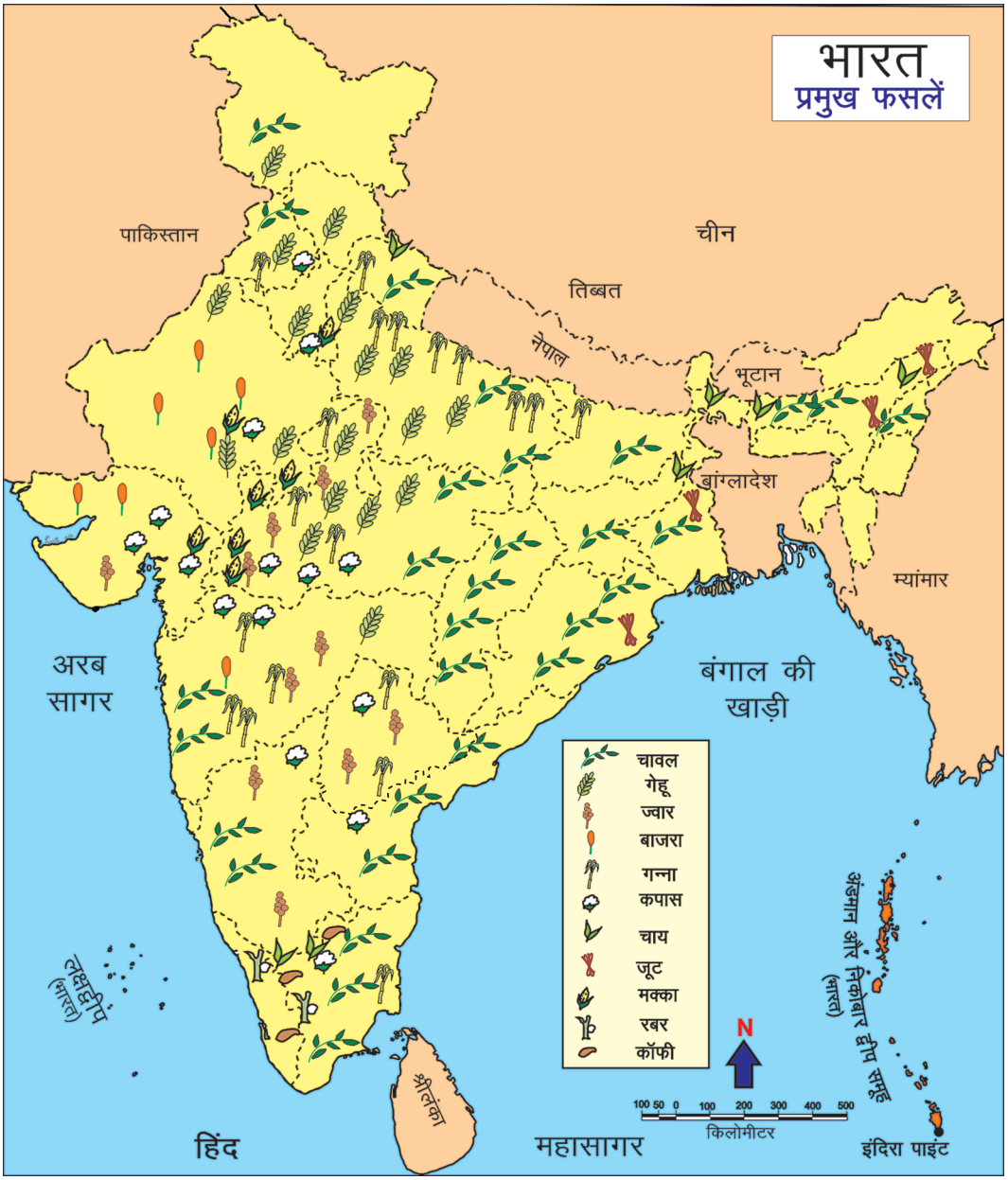

उत्तरप्रदेश, तमिलनाडू, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व पंजाब प्रमुख बाजरा उत्पादक प्रदेश हैं, देश के कुल उत्पादन का 96 प्रतिशत भाग यहां उगाया जाता है।

मक्का : मक्का मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों की उपज है। इसका उपयोग पशुओं के चारे और खाने के लिए किया जाता है। मनुष्य भी मक्के के विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपयोग करता है। विदेशों में इससे स्टार्च और ग्लूकोज तैयार किया जाता है। मक्का भारत के लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात व कर्नाटक में उगाया जाता है।

18.4 खाद्यान्न सुरक्षा हेतु शासन के प्रयास

खाद्यान्न सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्यान्न-सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। भारत में प्राकृतिक संकट अथवा किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाले खाद्यान्न संकट के समय एवं सामान्य परिस्थितियों में गरीबों तथा अन्य लोगों को खाद्यान्न उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए **खाद्य-सुरक्षा प्रणाली** का विकास किया गया है। इस व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग निम्नलिखित हैं -

1. **खाद्यान्न वृद्धि के प्रयास :-** खाद्यान्न सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि, देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन हो। इस कार्य में हरित क्रांति का योगदान महत्वपूर्ण है। हरित क्रान्ति के अन्तर्गत कृषि का यन्त्रीकरण, उन्नत बीजों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों के प्रयोग तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। साथ ही चकबन्दी और मध्यस्थों के उन्मूलन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप आज देश खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्म निर्भर बन गया है।

2. **न्यूनतम समर्थन मूल्य :** कृषि उत्पादों के मूल्यों में उच्चावचन होते रहते हैं। फसल के समय उत्पादन के कारण आपूर्ति अधिक हो जाती है, जिससे मूल्यों में काफी कमी आ जाती है। इस समय निर्धारित सीमा से कम मूल्य होने पर उत्पादकों को अपने उत्पादों की लागत प्राप्त करना भी कठिन हो जाता है। इसलिये सरकार कृषि उपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, जिसके अन्तर्गत जब खाद्यान्नों का बाजार भाव सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से नीचे चला जाता है, तो सरकार स्वयं घोषित समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदने लगती है। इससे किसान अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होते हैं, और सरकार को बफर स्टॉक के लिये खाद्यान्नों की प्राप्ति हो जाती है।

3. **बफर स्टाक :** यदि देश में खाद्यान्न का उत्पादन कम होता है, तो ऐसी संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करने के लिये सरकार द्वारा बनाया खाद्यान्न भण्डार '**बफर स्टाक**' कहलाता है। बफर स्टाक भारतीय खाद्य निगम (F.C.I.) के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज-गेंहूँ और चावल का भण्डार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों

में किसानों से गेंहूँ और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है। उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देने के लिए बुआई के पहले ही सरकार इन कीमतों की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भण्डार में रखे जाते हैं। इससे आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में मदद मिलती है। गत वर्षों में देश में उपलब्ध बफर-स्टॉक की स्थिति को नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। जो भारत की मजबूत खाद्य-सुरक्षा का प्रतीक है।

4. सार्वजनिक अथवा लोक वितरण प्रणाली : सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय उस प्रणाली से है, जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से उपभोक्ताओं विशेषकर कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को निर्धारित कीमतों पर उचित मात्रा में विभिन्न उपभोक्ता वस्तुयें बेची जाती है। इस प्रणाली में विभिन्न वस्तुओं (गेहूँ, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, कोयला, मिट्टी का तेल आदि) का विक्रय राशन की दुकान व सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के माध्यम से कराया जाता है। इन विक्रेताओं के लिए लाभ की दर निश्चित रहती है तथा इन्हें निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा में वस्तुयें राशन कार्ड धारियों को बेचनी पड़ती हैं, राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं- बी.पी.एल. कार्ड, ए.पी.एल. कार्ड एवं अंत्योदय कार्ड।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंग

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान, सहकारी उपभोक्ता भण्डार, नियन्त्रित कपड़े की बिक्री की दुकान, साफ्ट कोक डिपो, सुपर बाजार और मिट्टी के तेल की दुकान को सम्मिलित किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केन्द्र तथा राज्य सरकारें मिल कर करती है। केन्द्र द्वारा राज्यों को खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं का आवंटन किया जाता है एवं इन वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी तय किया जाता है। राज्य को केन्द्र द्वारा निर्धारित मूल्य में परिवहन व्यय आदि सम्मिलित करने का अधिकार है। इस प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त वस्तुओं का परिवहन, संग्रहण, वितरण व निरीक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें चाहें तो अन्य वस्तुएं भी जिन्हें वे खरीद सकती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सम्मिलित कर सकती हैं।

राशन कार्ड

- गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए B.P.L.कार्ड ।
- गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों के लिए A.P.L.कार्ड।
- गरीबों में भी गरीब लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड ।

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किये जा रहे खद्यान्न वितरण में लगातार वृद्धि हो रही है, 1951-52 में जो खाद्यान्न वितरण 4.8 मिलियन टन था वह 2003-04 में बढ़कर 71.5 मिलियन टन हो गया।

तालिका से स्पष्ट है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लोगों को खाद्यन्न उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली : जनवरी 1992 से पूर्व में चल रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संशोधित करके देश के दुर्गम जनजातीय, पिछड़े, सूखाग्रस्त एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नवीनीकृत सार्वजनिक प्रणाली लागू की गई। इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- सूखा प्रवृत क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों तथा शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी गयी है।
- इस प्रणाली के अंतर्गत अपेक्षाकृत कम कीमत और अधिक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केन्द्रीय निर्गम मूल्य

वितरण	निर्गम मूल्य प्रति किलो (रूपये)
गेहूँ	
● गरीबी की रेखा से नीचे	4.15
● गरीबी की रेखा से ऊपर	6.10
चावल	
● गरीबी की रेखा से नीचे	5.65
● गरीबी की रेखा से ऊपर	8.30

- छः प्रमुख आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त चाय, साबुन, दाल, आयोडीन नमक जैसी वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है।
- इस योजना में शामिल विकास खण्डों में **रोजगार आश्वासन योजना** आरम्भ की गई, जिसमें 18 से 60 वर्ष के अकुशल व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा सके जिससे लोग आय प्राप्त करके नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न खरीद सकें।

लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली : गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यान्न की न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारम्भ की गई। इस प्रणाली में गरीबों को विशेष राशन कार्ड जारी करके, विशेष कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी खाद्य–सुरक्षा योजना है। इस प्रणाली में 1 अप्रैल 2006 से प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसी प्रकार अत्यंत निर्धन परिवारों को **अन्त्योदय अन्न योजना** के अन्तर्गत 25 किलोग्राम खाद्यान्नः गेहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रणाली में द्विस्तरीय मूल्य प्रणाली अपनाई गयी है। जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे (BPL) और गरीबी की रेखा के ऊपर (APL) के लोगों के लिये गेहूँ और चावल का अलग–अलग निर्गमित मूल्य निर्धारित है (देखें तालिका)।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा समन्वित राज्य विकास कार्यक्रम, शाला में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना, खाद्यान्न अन्तयोदय अन्न योजना तथा काम के बदले अनाज आदि योजनाओं के माध्यम से खाद्य–सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

18.5 खाद्य-सुरक्षा और सहकारिता :

सहकारिता ऐसे व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है, जो समानता, स्व सहायता तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आधार पर सामूहिक हित के लिए कार्य करता है। इसके अन्तर्गत जो कार्य आर्थिक कमजोरी के कारण अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा नहीं किये जा सकते, वे सहकारिता द्वारा आसानी से किये जा सकते हैं। सहकारिता का उद्देश्य एक-दूसरे का शोषण रोकने की भावना रखते हुए परस्पर सहयोग से मिल-जुलकर कार्य करना है।

भारत में खाद्य-सुरक्षा उपलब्ध कराने में सहकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कार्य उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा निर्धन लोगों के लिए खाद्यान्न बिक्री हेतु राशन की दुकान खोलकर किया जाता है। भारत में उपभोक्ता सहकारिता के राष्ट्रीय, राज्य, जिलों व ग्राम स्तर पर अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं। जिसमें राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ मर्यादित, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। 30 राज्य सहकारी उपभोक्ता संगठन इस परिसंघ के साथ जुड़े हैं। केन्द्रीय या थोक स्तर पर 794 उपभोक्ता सहकारी स्टोर हैं। प्राथमिक स्तर पर 24,078 प्राथमिक स्टोर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में करीब 44,418 ग्राम स्तरीय प्राथमिक कृषि की ऋण समितियाँ अपने सामान्य व्यापार के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं के वितरण में लगी है। शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में करीब 37,226 खुदरा बिक्री केन्द्रों का संचालन उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी की जा सकें।

सरकार ने जुलाई 2000 में 'सर्वप्रिय' नाम की एक योजना प्रारम्भ की। इस योजना में रोजमर्रा इस्तेमाल की चुनी हुई वस्तुओं का वितरण मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खुदरा बिक्री केन्द्रों और राज्य उपभोक्ता सहकारी परिसंघ के खुदरा बिक्री केन्द्रों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों और राज्यों की उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है।

सरकार भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को **राशन की दुकान** के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। राशन की दुकान से, जिसे 'उचित मूल्य वाली दुकान' भी कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न मिट्टी का तेल आदि का वितरण राशन-कार्ड धारियों को होता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक निश्चित मात्रा निकटवर्तीय राशन की दुकान से खरीद सकता है। राशन की दुकान पर सभी वस्तुयें बाजार कीमत से कम कीमत पर बेची जाती है। आज देश भर में लगभग 4.6 लाख राशन की दुकानें हैं।

सब्सिडी (सहायिकी/अनुदान) : सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है।

बफर स्टॉक : आपात स्थिति में आवश्यक वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है।

हरित क्रांति : कृषि की उत्पादन तकनीक को सुधारने एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की प्रक्रिया को हरित क्रांति का नाम दिया गया है।

समर्थन मूल्य : कृषि उपज का समर्थन मूल्य घोषित करना अर्थात किसानों को उनकी उपज के न्यूनतम मूल्य की गारन्टी देना।

अभ्यास

सही विकल्प चुनकर लिखिए :

1. खरीफ की फसल है–
   (i) गेहूँ (ii) चना (ii) धान (iv) जौ
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है–
   (i) जूते की दुकान (ii) सोने-चाँदी की दुकान
   (iii) राशन की दुकान (iv) किराने की दुकान
3. लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है–
   (i) महिलाओं से (ii) पुरुषों से
   (iii) निर्धनता की रेखा के नीचे रहने वालों से (iv) उपरोक्त में से किसी से नहीं
4. अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत कितना खाद्यान्न दिया जाता है–
   (i) 5 किलोग्राम (ii) 10 किलोग्राम
   (iii) 15 किलोग्राम (iv) 25 किलोग्राम

अति लघु उत्तरीय प्रश्न :

1. मोटे अनाज के नाम लिखिए।
2. भारत को किन वर्षों में अकाल का सामना करना पड़ा था?
3. रोजगार आश्वासन योजना क्या है?
4. समर्थन मूल्य किसे कहते हैं?
5. खाद्य-सुरक्षा हेतु संचालित किन्हीं दो योजनाओं के नाम लिखिए।

लघुउत्तरीय प्रश्न :

1. खाद्य-सुरक्षा के मुख्य घटक कौन-कौन से हैं, लिखिए।
2. बफर-स्टाक क्या है? समझाइए।
3. नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? समझाइए।
4. लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाइए।
5. खाद्य-सुरक्षा में सहकारिता की क्या भूमिका है? समझाइए।
6. खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है? लिखिए।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न :

1. भारत में मुख्य खाद्यान्न कौन से हैं? विवरण कीजिए।
2. खाद्य-सुरक्षा क्या है एवं खाद्य-सुरक्षा क्यों आवश्यक है? समझाइए।
3. सरकार गरीबों को किस प्रकार खाद्य-सुरक्षा प्रदान करती है, समझाइये।
4. खाद्यान्न वृद्धि के लिए सरकार ने कौन-कौन से प्रयास किये है?
5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है व इसके मुख्य अंग कौन-कौन से हैं लिखिए।
6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किस प्रकार किया जाता है? वर्णन कीजिए।